राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत दायर अपील संख्या 07/2015–16

मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नोएडा

बनाम

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, उदयपुर

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक 14.12.2016</u>

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर के द्वारा Construction of tunnel from RD 1665 to 3510 M (Including approaches of tunnel 50 M at eached) for Khamera Canal निविदा आमन्त्रित की गई।

कार्य की तकनिकी बिड मे तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नोएडा को अयोग्य घोषित किये जाने के निर्णय के विरूद्व संवेदक द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर 132392 दिनांक 21.11.2016 से राशि रू. 2500/– फीस जमा करवाई गई।

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील दिनांक 23.11.2016 निम्नानुसार है :–

<u>Grounds of Appeal:-</u>

It would not be out of place to mention here that our Registration was renewed in continuity of our earlier Registration issued by the Department vide their Letter No. FA11A/Muanjas/ FA/548/AA/902-08 dated August 14, 2014 issued to us does not state any requirement of renewal of registration.

We would urge that M/s. Coastal Projects Ltd. should be given a fair chance and our Financial Bid should also be opened. Otherwise, court is pending w.r.t. project in question. It was noticeable that Financial Bid was opened within eleven minutes of opening of Technical Bid on November 23, 2016.

The rates quoted by M/s. Coastal Projects Ltd. are significantly competitive as compared to what was offered by the other bidder.

The completion certificates issued by your Department in favour of M/s. Coastal Projects Ltd. are self-explanatory that M/s. Coastal Projects Ltd. has always rendered qualify services in the past and assure the same in the future.

M/s Coastal Projects Ltd. is one of the leading engineering and construction company engaged in implementing Infrastructure Projects across the country. The company was incorporated in the year 1995, Irrigation Tunnels for Metros and other Underground Structures, CPL has emerged as specialist in underground excavations in shotcreting and concrete lining, till date, CPL has completed tunnels of various diameters totalling a length of 300 Kms.

We have requested you to give an opportunity for opening of our financial bid of Construction of tunnel from RD 1665 to 3510 M (Including approaches of tunnel 50 M at eached) for Khamera Canal Tender ref. No. 09/2016-17.

Applicant Prayed as under:

We humbly request you to kindly review & qualify our company so that the justice is done & our financial bid is made to open.

निविदा सूचना अधिकारी का कथन :–

अपील में दिये गये तथ्यों एवं आधारों के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत की है:–

1. संवेदक के द्वारा सक्षम कार्यालय को पंजीयन पुनरावलोकन हेतु दिनांक 10.10.2016 को आवेदन किया जाना अपनी अपील में अंकित किया गया है परन्तु आवेदन की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है। टिप्पणी उच्चाधिकारियों के द्वारा दिया जाना उचित होगा।

   दिनांक 21.11.2016 का पंजीयन पुनरावलोकन होना सूचित किया गया है परन्तु निविदा प्रस्तुत दिनांक को पंजीयन वैध नहीं होने से संवेदक को सक्षम कमेटी के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है।
2. तकनीकी बिड दिनांक 03.11.2016 को खोली गई उसके पश्चात् दिनांक 22.11.2016 को तकनीकी बिड मूल्यांकन की बैठक आहुत की गई जिसमें मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का पंजीयन निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को वैध न होने के कारण उन्हें उक्त कार्य की निविदा में अधिकृत कमेटी के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तथा संवेदक के द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद होकर सत्य से परे है।
3. संवेदक को अयोग्य घोषित करने पर आरोप लगाया है कि मुझे योग्य घोषित किया जाता है तो दर तुलनात्मक प्राप्त होती। संवेदक क दर प्रस्तुत करने की केवल मात्र कल्पना है। जिसका आंकलन विभागीय स्तर पर नहीं किया जाता है दर प्रत्यक्षरूप से प्रस्तुत करने पर ही किया जाता है।
4. संवेदक के दर्शाये गये कार्य उनके द्वारा सम्पादित किये गये है।
5. कोई टिप्पणी नहीं।
6. तकनीकी बिड दिनांक 03.11.2016 को खोली गई उसके पश्चात् दिनांक 22.11.2016 को तकनीकी बिड मूल्यांकन की बैठक आहुत की गई जिसमें मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का पंजीयन निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक को वैध न होने के कारण उन्हें उक्त कार्य की निविदा में अधिकृत कमेटी के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है।

प्रथम अपील अधिकारी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील की सुनवाई दिनांक 14.12.2016 को आयोजित की गई जिसमे निम्न के द्वारा भाग लिया गया:–

1. मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नोएडा के प्रतिनिधि।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।

अपील में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में वित्तीय सलाहकार द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर स्पष्ट किया कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा जवाब मे तकनीकी बिड निरस्तीकरण के संबंध में मुख्य अभियन्ता कार्यालय के आदेश दिनांक 11.07.2011 का उल्लेख किया है जिसमें पंजीयन रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं कराने वाले संवेदकों को निविदा प्रकिया में भाग लेने से रोकने के आदेश है जबकि प्रकरण में संवेदक के द्वारा निविदा में भाग लिया जा चुका है। तकनीकी बिड दिनांक 03.11.2016 को खोली गई थी मूल्यांकन हेतु कमेटी की बैठक दिनांक 22.11.2016 को हुई थी जबकि दिनांक 21.11.2016 पंजीयन रिव्यू किया जा चुका था।

अपील के संबध मे प्रस्तुत किये गये तथ्यों/अभिलेख/साक्ष्यों के परीक्षण उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हुँ कि :–

रिव्यू नहीं होने की स्थिति में पजीयन स्वतः ही निरस्त नहीं होता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। पंजीयन नियमों के अनुसार भी कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व फर्म को नोटिस दिया जाना

होता है। अपीलार्थी फर्म का पंजीयन निरस्त नहीं किया गया था फर्म के पंजीयन का रिव्यू तकनीकी बिड खोलने से पूर्व हो चुका था तथा फर्म के लिखित कथन के अनुसार खमेरा केनाल खण्ड में रिव्यू आदेश की प्रति दी जा चुकी थी।

उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलार्थी मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नोएडा द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उन्हे उक्त निविदा की तकनिकी बिड में योग्य घोषित करने का निर्णय पारित किया जाता है।

(विनोद शाह)
प्रथम अपील अधिकारी,
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग जयपुर

क्रमाक :–F.2(105)AS/I/Cell/16/ 6959

दिनांकः–20/12/16.

निर्णय की प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग उदयपुर।
2. मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नोएडा।
3. अधीक्षण अभियन्ता PMU जल संसाधन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय तत्काल राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे ।

प्रथम अपील अधिकारी,
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग जयपुर